संख्या–4679/37–1–14–8(41)/2014

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–1

लखनऊ::दिनॉक 31 दिसम्बर, 2014

विषयः पशुपालन विभाग में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु "उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है। उक्त नियमावली के अनुसार मृत सरकारी सेवक के आश्रित की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों एवं समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर किये जाने की व्यवस्था है। शासन के संज्ञान में आया है कि विभाग में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति में तत्परतापूर्वक कार्यवाही नहीं की जाती है, जिससे कई मामलों में अप्रत्याशित विलम्ब होता है।

2– अतः प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त पशुपालन विभाग में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन हेतु एतद्द्वारा निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

(1) मृतक आश्रित से अपने सेवायोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विलम्बतम 90 दिन के अन्दर उसे योग्यतानुसार नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत तैनाती प्रदान की जायेगी। यदि आवेदन पत्र अपूर्ण है तो 01 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कमियों को सूचित किया जायेगा और इसका अनुश्रवण करते हुए कमियों को पूर्ण कराकर उसके बाद निर्धारित 90 दिवस के भीतर मृतक आश्रित को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

(2) यदि पद रिक्त न हो तो सम्बन्धित अधिष्ठान द्वारा 10 दिवस के भीतर निदेशालय से यह ज्ञात किया जाय कि क्या अन्य किसी अधिष्ठान में पद रिक्त है, जहॉ मृतक आश्रित की नियुक्ति की जा सकती है।

(3) निदेशालय द्वारा तीन सप्ताह के अन्दर अनुरोध करने वाले अधिष्ठान को उन समस्त अधिष्ठानों की सूची एवं उनमें रिक्त पदों की संख्या सूचित की जायेगी।

(4) मूल अधिष्ठान द्वारा मृतक आश्रित को रिक्ति वाले अधिष्ठानों की सूचना उपलब्ध कराते हुए उनसे एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि वह किस अधिष्ठान में नियुक्ति हेतु इच्छुक है। विकल्प प्राप्त होने पर मूल अधिष्ठान द्वारा एक सप्ताह के अन्दर रिक्ति वाले अधिष्ठान को मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु सभी अभिलेखों को अग्रसारित किया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक, निदेशालय एवं शासन को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(5) रिक्ति वाले अधिष्ठान के नियुक्ति प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त अभिलेखों के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर नियुक्ति पत्र निर्गत करे।

(6) यदि मृतक आश्रित रिक्त पद वाले अधिष्ठान में नियुक्ति हेतु अपना विकल्प देने से मना करता है अथवा निर्धारित समयावधि (एक माह) में विकल्प नहीं देता है तो यह माना जायेगा कि वह मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है। तदनुसार उसका मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति का दावा निरस्त करते हुए इसकी सूचना मूल अधिष्ठान द्वारा मृतक आश्रित को देते हुए निदेशालय एवं शासन को भी इसकी प्रतिलिपि प्रेषित की जाएगी।

(7) यदि अन्य अधिष्ठान में भी कोई पद रिक्त नहीं है तो मूल अधिष्ठान, जहॉ सरकारी सेवक की मृत्यु हुई थी, में अधिसंख्य पद सृजित कर नियमानुसार 01 माह के भीतक मृतक आश्रित को सेवायोजित किया जायेगा।

2— कृपया मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या—4679(1)/37—1—2014, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड—।।, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।
(2) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।
(4) उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।